

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि-पत्र

सं0सं0-07/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) 07(7A) /पटना, दिनांक- 07/01/2026

स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-403(7), दिनांक-19.11.2025 एवं आवंटनादेश संख्या-404(7), दिनांक-19.11.2025 के द्वारा राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु0 2,24,84,00,000/- (रुपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु0 1,49,89,33,333/- (रुपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु0 3,74,73,33,333/- (रुपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति दी गयी है।

2. उपरोक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश संख्या-403(7), दिनांक-19.11.2025 के कंडिका-07,08 एवं 14 एवं आवंटनादेश संख्या- 404(7) के कंडिका-07,08 एवं 15 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है:-

कंडिका 07:-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है।

उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

कंडिका 08:-

इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य रागरत कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

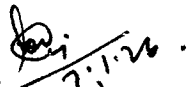
कंडिका 14 / 15:-

राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी।

3. प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2) के पृष्ठ-55 / टि0 पर प्राप्त है ।

4. स्वीकृत्यादेश संख्या-403(7), दिनांक-19.11.2025 एवं आवंटनादेश संख्या-404(7), दिनांक-19.11.2025 की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

अनुलग्नक- स्वीकृत्यादेश संख्या-403(7), दिनांक-19.11.2025 एवं आवंटनादेश संख्या-404(7), दिनांक-19.11.2025 की छायाप्रति ।

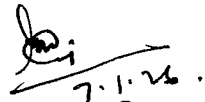

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।
Husud

ज्ञापांक:-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2) 07/FA) / स्वा0, पटना, दिनांक:- 7/01/2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / संबंधित सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक / उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा, पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendant / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12 / प्रशाखा के सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


7.1.26.

सरकार के अपर सचिव ।
Husud

संचिका सं०-७/बजट-४६-१२/२०२१(खण्ड-२)- 403 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-19/11/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि ₹ 2,24,84,00,000/- (रुपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से ₹ 1,49,89,33,333/- (रुपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि ₹ 3,74,73,33,333/- (रुपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-5750 दिनांक-11.11.2025 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि ₹ 2,24,84,00,000/- (रुपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से ₹ 1,49,89,33,333/- (रुपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि ₹ 3,74,73,33,333/- (रुपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से 1st Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt. of India (2025-26)						
Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt.10.11.25	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	1675500000	1117000000	2792500000
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	1862000000	1241333333	3103333333

		Total	1861700000	1241133333	3102833333
	SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	322000000	214666667	536666667
		3601-06-789-80-01-35(GBS)	358000000	238666667	596666667
		Total	357800000	238533333	596333333
	ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	259000000	172666667	431666667
		3601-06-796-86-01-35(GBS)	3000000	2000000	5000000
		Total	289000000	192666667	481666667
		Total(General+Sc+ST)	2248400000	1498933333	3747333333

3- उक्त प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,24,84,00,000 /- (रुपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 1,49,89,33,333 /- (रुपये एक अरब उन्चास करोड़ नवासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु० 3,74,73,33,333 /- (रुपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- **केन्द्रांश मद-** केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000 /- (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 18,62,00,000 /- (रुपये अठारह करोड़ बासठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000 /- (रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 1,67,55,00,000 /- (रुपये एक अरब सड़सठ करोड़ पचपन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000 /- (रुपये चार अरब) में से रु० 32,20,00,000 /- (रुपये बत्तीस करोड़ बीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

h.

- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/-(रुपये चार अरब) में से रु० 3,58,00,000/-(रुपये तीन करोड़ अठावन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/-(रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 2,59,00,000/-(रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 80,00,00,000/-(रुपये अस्सी करोड़) में से रु० 30,00,000/-(रुपये तीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

6- राज्यांश मद- कड़िका-4 के आलोक में राज्यांश मद की उपबंधित राशि की निकासी केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/-(रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 12,41,33,333/-(रुपये बारह करोड़ इक्तालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000/-(रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 1,11,70,00,000/-(रुपये एक अरब ग्यारह करोड़ सत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/-(रुपये चार अरब) में से रु० 21,46,66,667/-(रुपये इक्कीस करोड़ छियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

4.

- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 2,38,66,667/- (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 1,72,66,667/- (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) में से रु० 20,00,000/- (रुपये बीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

7- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

8- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

9- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश भद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

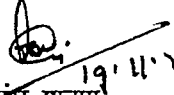
10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI



- 11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।
- 12- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 13- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) के पृष्ठ-49/टि0 पर प्राप्त है।
- 14- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- 15- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 16- एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संयु शरण)
19.11.25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 403(7) /स्वा0, पटना, दिनांक-19/11/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

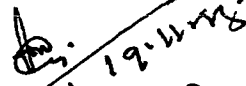
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.11.25
सरकार के अपर सचिव।
K.S.

सचिका स0-7/बजट-46-12/2021(खंड-02)- 404 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 19/11/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 2,24,84,00,000/- (रूपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 1,49,89,33,333/- (रूपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रू0 3,74,73,33,333/- (रूपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-5750 दिनांक-11.11.2025 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 2,24,84,00,000/- (रूपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 1,49,89,33,333/- (रूपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रू0 3,74,73,33,333/- (रूपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से 1st Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt. of India (2025-26)						
Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt.10.11.25	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	1675500000	1117000000	2792500000
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	1862000000	1241333333	3103333333
			Total	18617000000	12411333333	31028333333
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	3220000000	2146666667	5366666667

		3601-06-789-80-01-35(GBS)	35800000	23866667	59666667
		Total	357800000	238533333	596333333
	ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	25900000	17266667	43166667
		3601-06-796-86-01-35(GBS)	3000000	2000000	5000000
		Total	28900000	19266667	48166667
		Total(General+Sc+ST)	2248400000	1498933333	3747333333

3— उक्त प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,24,84,00,000/— (रुपये दो अरब चौबीस करोड़ चौरासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 1,49,69,33,333/— (रुपये एक अरब उन्चास करोड़ नबासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु० 3,74,73,33,333/— (रुपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-403(7) दिनांक-19/11/2025 के तहत उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित आवंटन प्रदान की जाती है।

4— ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5— केन्द्रांश मद— केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/— (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 18,62,00,000/— (रुपये अठारह करोड़ बासठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000/— (रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 1,67,55,00,000/— (रुपये एक अरब सड़सठ करोड़ पचपन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/— (रुपये चार अरब) में से रु० 32,20,00,000/— (रुपये बत्तीस करोड़ बीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 3,58,00,000/- (रुपये तीन करोड़ अठावन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 2,59,00,000/- (रुपये दो करोड़ उनसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) में से रु० 30,00,000/- (रुपये तीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

6- राज्यांश मद- कंडिका-4 के आलोक में राज्यांश मद की उपबंधित राशि की निकासी केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 12,41,33,333/- (रुपये बारह करोड़ इक्तालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000/- (रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 1,11,70,00,000/- (रुपये एक अरब ग्यारह करोड़ सत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 21,46,66,667/- (रुपये इक्कीस करोड़ छियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 2,38,66,667/- (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 1,72,66,667/- (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) में से रु० 20,00,000/- (रुपये बीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

7- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

8- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

9- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI

